

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

नांक

फर्द अहकाम

मु. नं० 65/13

तारीख 26/12-13

उनका गुलाब बनाम भगवती देवी सांखड़ा

दावा बाबत घोषणा खोतेदारीचारा
88 अन्तर्गत Act

वादी की ओर से श्री राम भरोसी गुप्ता Adv.
जे दावा बाबत घोषणा खोतेदारी पेश किया
दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। दावा
दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणों को सम्मन
से तलब कर पत्रावली दिनांक 4.2.14
को पेश हो।

उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

3654-60
31-12-13

42/14 वादी वकील उप.। सम्मन बाद तामील प्रस नहीं
हुए हैं। बड़तजार तामील दिनांक 11.3.14 को
पेश हो।

11.3/14 वादी वकील उप.। सम्मन बाद तामील प्रस नहीं
हुए हैं। तहसीलदार को पत्र लिखा जावे। तथा वकील
वादी पुनः तलवाना सम्मन पेश करे। पत्रावली वसि
तलबी प्रतिवादी दिनांक 24.1.14 को पेश हो।

34/14 वादी वकील उप.। प्रतिवादीगणों के सम्मन बाद तामील
प्रस हुए किन्तु प्रतिवादीगण उप. नहीं। इनके विरुद्ध
एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। वास्तु साक्ष्यवादी
दिनांक 15.5.14 को पेश हो।

र.
ल
भू
ई

परी देवी

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम
28.9.15	वादी वकील उप० प्रकाश मे दादपत्र के समर्थन में दस्तावेज पेश नहीं की वादी वकील को हिदायत की गई कि आगामी सुनवाई तिथि पर मुद्दामा के समर्थन में दस्तावेज साक्ष्य पेश कर पत्रावली दिनांक 20.10.15 को पेश हो।
20 ¹⁰ /15	वादी वकील उपरिक्त प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाये। वादी का भीम साक्ष्य दिनांक 30.11.15 को पेश हो।
30 ¹¹ /15	वकुलाय उपरिक्त पीठासन अधिकारी अवकाश पर है। गतानुसार दिनांक 23.12.15 को पेश हो।
23.12.15	वादी वकील उपस्थित नहीं। कई बार अज्ञात दिलाई गई फिर भी वादी वकील एवं वादीगण में से कोई भी उपस्थित नहीं है। अतः आदम हाजिरी एवं आदम पैरवी में खालि किया जाता है। पत्रावली फंसल शुभारंभ के सम्बन्ध में कम लेख दाखिल दफ्तार हो।

उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (नरौली)